न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 35/2026
महेंद्र सिंह एवं अन्य
बनाम
बिहार सरकार

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता..... श्री गणेश ठाकुर।
सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री केदारनाथ तिवारी, लोक अभियोजक।
सूचिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री दीपक कुमार, सूचिका बबीता देवी के साथ।

दिनांक– 16.03.2026

धनसोई थाना कांड संख्या 162/2025
अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 303(2), 109, 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्तगण 1. महेन्द्र सिंह 2. रम्भा देवी 3. प्रमिला देवी. 4 . मुखवसी देवी 5. सोनी देवी 6. उपेन्द्र सिंह की ओर से दाखिल किया गया अग्रिम जमानत को सुना गया।

2. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा प्राथमिकी की सारी बातें बनावटी, काल्पनिक तथा मनगढंत है। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से इससे पहले किसी न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है तथा न ही लंबित है। आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदकों पर धनसोई थाना काण्ड संख्या–143/2018 लंबित है जिसमें आवेदकगण जमानत पर है। अतः विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया। सूचिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सूचिका कम्परमाईज करना चाहती है।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वाद की सूचिका बबीता देवी का कथन है कि दिनांक 28.11.2025 को समय करीब 11 बजे दिन में 1. धमेन्द्र 2. महेन्द्रसिंह 3. उपेन्द्र सिंह 4. प्रमिला देवी 5. सोनी देवी 6. मुखवसी देवी 7. बब्लू कुमार 8. रम्भा देवी ने मिलकर हमारे दरवाजे पर चढ़कर गाली–गलौज देते हुए जान से मार देंगे। तभी महेन्द्र सिंह ने गंड़ासा से हमला कर दिया जिससे विवेक कुमार का सर फट गया और बाकी सभी ने मिलकर पुरे परिवार को मारने लगे और बबीता देवी की बॉह पकड़कर उससे जबरदस्ती बाल पकड़कर सोना का बाली, एक ज्यूतिया छिन लिया और बुरी तरह से मारा पिटा। मेरे पति के पैकिट के पर्स से 10,000/– दस हजार रुपया भी निकाल लिया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक महेन्द्र सिंह पर स्पेशिफिक एलिगेशन गंड़ासा से हमला करने का है, जिससे विवेक कुमार का सर फट गया। परन्तु कांड दैनिकी को देखने से स्पष्ट है कि गंड़ासे की बरामदगी नहीं है। आवेदिका रम्भा

देवी, प्रमिला देवी, मुखवसी देवी, सोनी देवी तथा उपेन्द्र सिंह पर कोई स्पेशिफिक एलिगेशन नहीं है। कांड दैनिकी के पैरा–24 में जख्मी विवेक कुमार की इंजरी रिपोर्ट का वर्णन है, जिसके अनुसार नेचर ऑफ इंजरी सिम्पल था और कड़े एवं भोथर वस्तु द्वारा किया गया था। कांड दैनिकी के पैरा–27 के अनुसार आवेदक महेन्द्र सिंह, मुखवसी देवी, प्रमिला देवी, सोनी देवी पर धनसोई थाना कांड संख्या–01/2018 दर्ज है। परन्तु आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त कांड में आवेदकों की रिहाई हो गयी है।

अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण को चार सप्ताह के अन्दर विचारण न्यायालय में गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण करने की स्थिति में मो0 10000/–(दस हजार रूपये) के बंधपत्र समान राशि वाले दो प्रतिभूओं सहित दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण प्रत्येक तिथि पर सदेह या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। लगातार दो तिथियों तक आवेदकगण एवं अधिवक्ता दोनों के अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा। आवेदकगण आपराधिक इतिहास का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे, जैसा कि उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा सबमिशन दिया गया है।

(लेखापित व शुद्धित)

Sd/-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
बक्सर।